

निदेशक का कार्यालय
पूर्वी मुद्रण वर्ग
14, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता-700016 (प०ब०)
दूरभाष सं०: 033-22876950
फैक्स सं०: 033- 22834694
ई-मेल: epg.kol.soi@gov.in



OFFICE OF DIRECTOR
Eastern Printing Group,
14, Wood Street
Kolkata-700016 (W.B.)
Phone No. 033- 22876950
Fax No. 033- 22834694
E-mail: epg.kol.soi@gov.in

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 02 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 14 -03-2018
EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. /37-G-15(EPGRO) DATED -03-2018

1. सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2015 की पुनःरीक्षित विभागीय पदोन्नति (Review DPC) समिति का आयोजन ।

श्री यदुनाथ मण्डल, पी०के० ग्रेड-II को सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल 6 में 03-12-2015 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

Shri Jadu Nath Mondal, P.K. Gde-II is hereby promoted to the post of Senior Reprographer regular basis with effect from 03-12-2015 in the Pay-matrix Level-6.

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Govt. Servant.

2. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा ।

He is required to exercise an option under Rule F.R. 22(I)(a)(1) for fixation of pay on his promotion.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के लिए वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : महासर्वेक्षक का पत्र सं०सी-766/972 दिनांक 13-02-2018)

Contd..P/2.

II. सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

सर्वश्री गौतम बंदोपाध्याय, एल०डी० ग्रेड-II, श्यामल कान्ति दास(SC), प्रोभार ग्रेड-II एवं सुशान्त मण्डल(SC), प्रोभार ग्रेड-II को सीनियर रिप्रोग्राफर के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल 6 में 15-02-2018 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

S/shri Goutam Bandopadhyay, L.D. Gde-II, Shyamal Kanti Das(SC), Prover Gde-II and Susanta Mandal(SC), Prover Gde-II are hereby promoted to the post of Senior Reprographer regular basis with effect from 15-02-2018 in the Pay-matrix Level-6.

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Govt. Servant.

2. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा ।

They are required to exercise an option under Rule F.R. 22(I)(a)(1) for fixation of pay on their promotion.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के लिए वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : महासर्वेक्षक का पत्र सं०सी-744/972 दिनांक 13-02-2018)

III. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिव०-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के गुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिव० II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री देव नारायण सिंह	अभिलेख पाल डिव० I	01-01-2018

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promoted from Division II) of this Directorate is granted third Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-8 with effect from the date as mentioned against his name :-

Sl. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Deo Narayan Singh	Record Keeper Div-I	01-01-2018

उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixation of pay for grant of Third Financial Upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

2. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-18 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-18 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-731/1902- एम०ए०सी०पी० (पु०मु०व०)दिनांक 13-02-18)

IV. सरकारी सेवा में प्रतिधारण :-

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने इस निदेशालय के निम्नलिखित कर्मचारियों का, उनके 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर, जेसा कि प्रत्येक कर्मचारी के नाम के सामने दर्शाया गया है, सरकारी सेवा में रहना स्वीकार कर लिया है :-

1. श्री असीम कुमार दास, सहायक - 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
2. श्री रामेश्वर राम रजक, तकनीकी श्रमिक - 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

Retention in Govt. Service

The following Govt. Servants of this office are hereby allowed to be retained in Govt. service on attaining 55 years of age or on completion of 30 years of service on the recommendation of Special Review Committee conducted in Surveyor General of India.

1. Shri Asim Kumar Das, Assistant - On attaining of 55 years age
2. Shri Rameshwar Ram Rajak - On attaining of 55 years age

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं०सी-10556/854-आर(पूर्वी मुद्रण वर्ग) दिनांक 08-12-2017)

Contd...P/4.

V. स्थानान्तरण पर गये (OUT GOING ON TRANSFER) :-

इस केन्द्र में निम्नलिखित अधिकारी स्थानान्तरण पर गये :-

The undermentioned officer have relieved from this office on transfer :-

क्र०सं० Sl. No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय पर स्थानान्तरण हुए Transferred to	स्थानान्तरण की दिनांक Date of transfer	टिप्पणी Remarks
1.	श्री आशीष कौशल, निदेशक / Shri Ashish Kaushal, Director	निदेशक, गुजरात, दमन एवं दीव, गाँधीनगर / Director, Gujarat, Daman & Diu, Gandhinagar.	28-02-2018 (A/N)	S.G.'s letter Nos. C- 5187/701-Director दिनांक 23-09-2016 & C-50/701-Director dated 04-01-2017

VI. सेवा निवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणनुसार सेवानिवृत्त हुए ।

क्रम सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री उषा कान्ति हालदार	रेट०फोटो० ग्रेड-II	31-01-2018
2.	श्री अशीम सेनगुप्त	भण्डार सहायक	31-01-2018
3.	श्री बैजनाथ बैठा	दफ्तरी	31-01-2018

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Shri Usha Kanti Halder	Ret. Photo Gde-II	31-01-2018
2.	Shri Ashim Sengupta	Store Assistant	31-01-2018
3.	Shri Baijnath Baitha	Daftary	31-01-2018

अरिन कुं दत्ता

(अरिन कुमार दत्ता)

प्रबन्धक (कनिष्ठ)

निदेशक (सामयिक कार्यभार)

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा नेशनल जी०डी०सी०, देहरादून को ई-मेल (adm.n.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / प्रभारी वेतन अनुभाग को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवही हेतु ।
6. गार्ड फाईल /फाईल : 4-F-12 / 11-J-3(RC) संबंधित कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल ।

ई-मेल द्वारा